मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2000 (आषाढ 30, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री कमल सिंह पडोरिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, श्योपुर जिले के विभिन्न ग्रामों से डाकुओं द्वारा ग्रामीणों का अपहरण किए जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लाल सिंह, रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के बुरहानपुर वन संभाग में लकड़ी की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री अनूप मिश्रा, करणसिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम दुकलाई निवासी एक व्यक्ति की पुलिस प्रताड़ना से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में अग्नि दुर्घटना होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम इटिया में एक आदिवासी महिला को यातना दिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बाबूलाल गौर, श्रीमती सुधा जैन, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, भोपाल नगर में पेट्रोल पंपों पर लूट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. वक्तव्य

(1) श्री महेन्द्र बौद्ध, स्कूल शिक्षा मंत्री, दिनांक 5 नवम्बर, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 1548) तथा दिनांक 16 नवम्बर, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्रमांक 2793) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री डोमनसिंह नगपुरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, दिनांक 16 मार्च, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्रमांक 7604) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 18 सन् 2000) पर विचार किया जाय --- चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय 30 मि.

(1) सर्वश्री बनवारी लाल, नरोत्तम मिश्र, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि पान पराग तथा तम्बाखूयुक्त समस्त गुटखों का प्रचलन प्रदेश में तत्काल प्रभाव से बंद किया जाय".

1 घन्टा

(2) सर्वश्री महेश तिवारी, लक्ष्मीकांत शर्मा, धर्मजीत सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन व इस्तेमाल पर रोक लगाई जाय ताकि बढ़ते प्रदूषण, भूमि दोष, अबोध प्राणियों के जीवन की रक्षा की जा सके".

1 घन्टा

(3) श्री श्याम होलानी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के जल स्रोत वाले ग्रामों में नल-जल योजना लागू की जाय".

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2000